न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र. / 20 /2017-18/अ-20(3)/नजूल

लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनविभाग की भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण उसके ऐवज में प्रतिपूरक भूमि वनविभाग को हस्तांतरण करने बाबत् ।

// आदेश //

(आज दिनांक 27/10/2017 को पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, राजघाट बांई नहर वितरण संभाग खनियाधाना के पृष्ठांकन क्रमांक 759/ कार्य/ लो.ओर.परि./ 2017 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना शिवपुरी से जिला शिवपुरी एवं दतिया की 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु योजना तैयार की गई जिसके डूब क्षेत्र में 968.24 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने से सिंचाई सुविधा में कमी आई है अत: क्षेत्र का जीवनस्तर उठाने हेतु भारत सरकार एवं वनपर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03.17 को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें वनभूमि 968.24 हेक्टेयर के बराबर प्रतिपूरक राजस्व भूमि के डायवर्सन एवं स्थानातंरण की शर्त रखी गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शिवपुरी जिले में उपलब्ध राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने की मांग की गई है।

तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 10/17-18/बी-121 के प्रतिवेदन दिनांक 23.10.17 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सिलपुरा अहरवानपुर, अमरखो, पिपरई, गतौरा, देवरी कुल रकबा 253.76 हेक्टेयर राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपन हेतु वनविभाग को प्रकरण क्रमांक 47/16-17/अ-20(3) आदेश दिनांक 27.07.17 के द्वारा आबंटित की गई थी। तदाउरांत वन विभाग द्वारा उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरांत उक्त भूमि को अनुपयोगी बताया गया एवं अन्य भूमि दिये जाने की मांग की गई। मांग अनुसार तहसील पिछोर की निम्नानुसार भूमि का चयन किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तावित है :-

ग्राम	सर्वे नं.	रकवा (हे.में.)	नोईयत
बडेरा	2696	27.00	पहाड़
	2618	5.00	चरनोई
मुहार	30	13.25	का.का.
	449	30.00	का.का.
	451	18.92	चरनोई
	452	16.34	चरनोई
चौमुहा	728	2.00	पत्थर
बमेरा	650	0.320	का.का.
	653	19.86	सावानिकी
	654	0.100	नाला
	655	0.120	सावानिकी
	657	1.840	सीमेंट
	658	0.240	सीमेंट
	659	0.470	सीमेंट
	665	0.310	सीमेंट
	666	0.500	सीमेंट

बदरवास	15	4.97	चारागाह
	24	14.45	चारागाह
	35	7.49	चारागाह
	56	2.130	चारागाह
	57	0.50	चारागाह
तिन्धारी	2726/1	16.04	चारागाह
	2728	8.77	चारागाह
	2719	13.00	चारागाह
ढला	2151	20.00	चारागाह
	2153	1.98	चारागाह
	2154	2.15	चारागाह
	2124	1.50	चारागाह
लभेडा	1153/1	27.00	चारागाह
	391	0.18	चारागाह
	1154	1.23	चारागाह
	1151/2	1.08	चारागाह
	1147	0.41	चारागाह
	1461	4.31	पहाड़
	1460	2.01	पहाड़
	1441	0.50	पत्थर
	कुल रकवा	265.97 हे.	

उक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि कुल रकवा 265.97 हेक्टेयर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के प्रतिवेदन दिनांक 25.10.17 में उल्लेख किया गया है नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि का चयन किया गया है उक्त भूमि का कुल रकवा 265.97 हेक्टेयर को राजस्व विभाग से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त मानते हुए आवंटन की अनुशंसा सहित प्रेषित किया है।

अत: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर एवं तहसीलदार पिछोर के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में आवंटित भूमि प्रकरण क्रमांक 47/16-17/अ20(3) आदेश दिनांक 27.07.17 के द्वारा वैकल्पिक वृक्षरोपन हेतु भूमि कुल रकवा 253.76 हेक्टेयर आवंटित गई थी। संयुक्त निरीक्षण के उपरांत आवंटित भूमि कुल रकवा 253.76 हेक्टेयर वृक्षरोपण हेतु अनापयुक्त पाई जाने के कारण निरस्त करते हुए तालिका अनुसार ग्राम बडेरा, मुहार, चौमुहा, बमेरा, बदरवास, तिन्धारी, ढला एवं लभेडा तहसील पिछोर की कुल भूमि रकवा 265.97 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग शिवपुरी को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कण्डिका 36 के तहत निम्न शर्तो के अधीन नि:शुल्क आवंटित की जाती है :-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे, किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वत:ही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अक्श नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पिछोर आवंटित भूमि का खसरे में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 20 /17-18/ अ-20(3)/नजूल/2017/ 9169 शिवपुरी दिनांक 27/ 10/2017

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वन संरक्षक वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री राजघाट बाई नहर वितरण संभाग खनियाधाना जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
8. तहसीलदार पिछोर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.